| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 1/3/17 | पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उप०। अप्रार्थी सं 3 की ओर से जवाब दरख्वास्त मय काउन्टर क्लेम पेश जो शामिल मिसल हो, वास्ते जवाब अप्रार्थी प्रार्थी स:। पत्रावली आइन्दा दि. 24/3/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| 24/3/17 | पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उपस्थित। प्रति सं. 1/2 ओर से जवाब पेश नहीं। पत्रावली वास्ते जवाब प्रति स.। आइन्दा दि 19/4/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| 19/4/17 | पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रति.। दिनांक 17.5.17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| 17/5/17 | पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उपस्थित। P.O. साहब राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र मौडर पर व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/5/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| 24/5/17 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र मौडर पर पेश हुई पक्षकारान उपस्थित नहीं आने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली वास्ते जवाब T.I. गैरसायलान नं. 2 व जवाब काउन्टर T.I. सायल दिनांक 30/6/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| 30/6/17 | पत्रावली पेश हुयी। वकील सायल उपस्थित। वकील गैरसायल नं. 3 उपस्थित। वकील गैरसायल नं. 1 व गैरसायल नं. 2 उपस्थित नहीं। कई आवाजें दिलवाई गई। वकील गैरसायल नं. 1 व गैरसायल नं. 2 उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वकील सायल ने जवाब काउन्टर T.I. पेश नहीं किया है कई अवसर दिये जा चुके हैं अतः जवाब काउन्टर T.I. बन्द किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र पर वकील |

रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा ग्राम नींदर तहसील म0 सायल सायल व गैरसायलान नं. 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। पुश्तैनी है, जो पिता चिंरजी से प्राप्त हुई है। सायल अपने हिस्से पर गैरसायल नं. 1 ता 3 के साथ हिस्सानुसार काबिज काश्त है लेकिन गैरसायल नं. 2 व 3 के दिल में बेइमानी आ गयी। वे मुझे अपने हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। और प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील गैरसायल नं. 3 का बहस में कथन है कि ख.नं. 717 के अलावा ख.नं. 474 रकबा 2 बीघा ग्राम - नींदर में भी सायल व गैरसायल नं. 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी का है जिसे सायल ने दावा व 420 में रहनपाक है। ख.नं. 717 पर गैरसायल नं. 2 का दिनांक 1/1/89 से किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। दिनांक 11.2.85 को विवादित भूमि ख.नं. 717 व ख.नं. 474 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का, मकानीयात व सोना - चाँदी, नगदी का बाहमी बंटवारा दिनांक 1.1.89 से पूर्व सन 1985 में फरवरी में सायल व गैरसायल नं. 1 ता 3 के मध्य हो चुका है। ख.नं. 717 ग्राम नींदर गैरसायल नं. 1 ता 3 के 1/2 - 1/2 हिस्से खातेदारी व कब्जे काश्त में रहा है एवं ख.नं. 474 ग्राम नींदर सायल व गैरसायल नं. 2 के खातेदारी हिस्से व कब्जे काश्त में रहा है। इसी अनुसार सायल व गैरसायल नं. 1 ता 3 काबिज काश्त बतौर खातेदार है। सायल कोई अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल नं. 1 ता 3 के विरुद्ध प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अन्त: में प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072 से 75 ख.नं. 717 व नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 ख.नं. 474 एवं बंटवारा लिखा - पढ़ी दिनांक 1-1-89 का विवेचन किया गया जिससे सायल व गैरसायल नं. 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी का होना एवं पक्षकारान में बाहमी बंटवारा होना स्पष्ट रूप से साबित है। ऐसी स्थिति में सायल व गैरसायलान के मध्य सदभावी विवाद है जो दावे में उभय पक्षकारान की साक्ष्य के बाद अन्तिम निर्णय से सायल व गैरसायल नं. 1 ता 3 के हक - हकूकों तय होंगे तब तक भूमि की यथास्थिति कायम रखा जाना उचित प्रतीत होता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय विवादित

P.T.O.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | भूमि की यथास्थिति रखे जाने में उभयपक्ष के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र सायल विरुद्ध गैरसायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को लम्बित वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खं.नं. 717 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा ग्राम-नींदर 260 मण्डरायल की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डरायल (क.नी.) |